

सचिका स0-7/बजट-46-02/2025 - 72/71

बिहारसरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 06/06/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चाहरदीवारी निर्माण हेतु रू० 27,92,200/- (रूपये सताईस लाख बानवे हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि मुख्य महाप्रबधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के पत्राक-469 दिनांक-16/04/2025 द्वारा मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड मे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चाहरदीवारी निर्माण हेतु रू० 27,92,200/- (रूपये सताईस लाख बानवे हजार दो सौ) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है । यद्यपि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण केन्द्र प्रायोजित योजना अतर्गत किया गया है। इसमे चाहरदीवारी का प्रावधान नही होने के कारण राज्य योजना अतर्गत विभागीय स्वीकृति दिया जाना है।

2- निगम के उक्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के सदर्थ मे वित्तीय वर्ष 2025-26 मे मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर प्रखंड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चाहरदीवारी निर्माण हेतु रू० 27,92,200/- (रूपये सताईस लाख बानवे हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखा जायगा:-

(i) सामग्री की आपूर्ति के पूर्व इसकी सतुष्टि प्राप्त करली जायेगी कि सबधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नही कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक सामग्री की आपूर्ति कराया जायेगा।

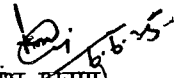
(iii) चाहरदीवारी का निर्माण कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाएगा।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि सामग्री की गुणवत्ता बनी रहे।

4- इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स०-20 के अतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष- 0119-स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण (सात निश्चय-2), विपत्र कोड-20-4210011100119, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

- 5- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।
- 7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।
- 8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17 04 98, 2880/वि0(2), दिनांक-06 05 06, 2938/वि0(2), दिनांक-08 04 08, 3758/वि0, दिनांक-31 05 2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28 07 2022 एवं 12888/वि०, दिनांक- 03 12 2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 9-राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।
- 10-प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक-15 05 2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापाक-31(7), दिनांक-15 05 2025 में स्वीकृति प्राप्त है।
- 11-प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12-प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या-7/बजट-46-02/2025 के पृष्ठ-04/टि० में प्राप्त है।
- 13- यह मात्र व्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।
- 14- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

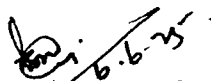

(शंभु शrivastava)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक-7/बजट-46-02/2025 - 72 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक- 06/06/2025

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर/ जिला पदाधिकारी, मुंगेर /क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Kunal